दिनांक 05.12.2025 को अपराह्न 3.00 बजे आयोजित शिकायत निवारण समिति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर की बैठक का कार्रवाई प्रतिवेदन :

उपस्थिति :

डा. फिजा अहमद, निदेशक बीज एवं प्रक्षेत्र, बि.कृ.वि., सबौर
डा. मिजानुल हक, कुलसचिव, बि.कृ.वि., सबौर
श्री राकेश कुमार तांती, नामिनी नियंत्रक, बि.कृ.वि., सबौर
श्री अजय कुमार मल्लिक, अंकेक्षण पदाधिकारी, बि.कृ.वि., सबौर

बैठक की शुरूआत शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष –सह– निदेशक बीज एवं प्रक्षेत्र, बि.कृ.वि., सबौर द्वारा स्वागत से आरंभ करते हुये समिति सदस्यों को दिनांक 10.09.2025 को आयोजित बैठक में किये गये अनुशंसा/निर्णय के आलोक में संबंधित निदेशालय/संस्थान से प्राप्त कृत कार्यवाही प्रतिवेदन से अवगत कराया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

क. सं.	शिकायतकर्ता का नाम/पदनाम एवं आवेदन की तिथि	शिकायत का बिन्दु	दिनांक 10.09.2025 को समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में प्राप्त कृत कार्यवाहीं प्रतिवेदन का विवरण	दिनांक 05.12.2025 को समिति द्वारा की गई अनुशंसा
	डा. शान्तिभूषण, सम्बद्ध प्राध्यापक–सह–वरीय वैज्ञानिक (पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी विभाग), वीर कुँवर सिंह कृषि महाविद्यालय, डुमरॉव	डा. शान्तिभूषण द्वारा कैरियर एडवांसमेंट योजना अन्तर्गत दी गई उनको दी गई प्रोन्नति की तिथि को सही करने का अनुरोध किया गया है।	प्रतिवेदन अप्राप्त।	निदेशक प्रशासन का पत्रांक 698 दिनांक 08.09.25 द्वारा अवगत कराया गया था कि डा. शान्तिभूषण के मामले पर कार्रवाई प्रकियाधीन है। समिति द्वारा पुनः निदेशक प्रशासन कार्यालय से यथाशीघ्र कार्रवाई पूर्ण करते हुये कृत कार्यवाही से समिति को शीघ्र अवगत कराने की अनुशंसा की गई। (कार्रवाईः निदेशक प्रशासन, बि.कृ.वि., सबौर)
2	डा. सफी अफरोज सहायक प्राध्यापक–सह–कनीय वैज्ञानिक, ए.सी.एस., किशनगंज	वेतन संरक्षण के संबंध में।	प्रतिवेदन अप्राप्त।	निदेशक प्रशासन का पत्रांक 698 दिनांक 08.09.25 द्वारा अवगत कराया गया था कि कार्रवाई की जा रही है। डा. सफी अफरोज के वेतन संरक्षण के सबंध में पुनः निदेशक प्रशासन से कृत कार्रवाई कर अद्यतन फलाफल से समिति को अवगत कराने का अनुशंसा किया गया। (कार्रवाईः निदेशक प्रशासन., बि.कृ.वि. , सबौर)
3	श्री देवानन्द कुमार, सहायक नियंत्रक, नालंदा उद्यान महाविद्यालय, नूरसराय	श्री देवानन्द कुमार द्वारा उनके पूर्व में कार्यरत संस्थान सी.एस. आई.आर हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान, पालमपुर, हिमालच प्रदेश का पत्र 2–2(53)/03–इ.एस.टी.टी. दिनांक 31.10.2023 के आलोक में राष्ट्रीय पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में समाहित करने का अनुरोध किया गया है।	प्रतिवेदन अप्राप्त।	निदेशक प्रशासन का पत्रांक 698 दिनांक 08.09.25 द्वारा सूचित किया गया था कि श्री देवानन्द के मामले पर विश्वविद्यालय स्तर पर एन.पी. एस. से ओ.पी.एस. में आच्छादित किये जाने पर विचारण हेतु गठित समिति को आवेदन प्रेषित किया गया है। गठित समिति के स्तर से किये गये अनुशंसा/निर्णय से समिति को अवगत कराने हेतु पुनः निदेशक प्रशासन से अनुरोध करने का अनुशंसा किया गया। (कार्रवाईः निदेशक प्रशासन., बि.कृ.वि., सबौर)
4	नालंदा उद्यान महाविद्यालय,	नालंदा उद्यान महाविद्यालय,	प्रतिवेदन अप्राप्त।	सह अधिष्ठाता एवं प्राचार्य, ना.उ.म.,

	नूरसराय के कुछ वैज्ञानिकों संयुक्त आवेदन	नूरसराय के कुछ वैज्ञानिकों संयुक्त आवेदन दिनांक 90/GEN/NCOH, Noorsarai दिनांक 21.04. 2025। इन वैज्ञानिकों द्वारा स्थानांतरण भत्ता तथा यात्रा भत्ता ससमय भुगतान हेतु राशि की मांग की गई है।		नूरसराय से उनके महाविद्यालय के वैज्ञानिकों का बकाया स्थानांतरण भत्ता तथा यात्रा भत्ता ससमय भुगतान हेतु कृत कार्यवाही के प्रगति प्रतिवेदन से अवगत कराने का अनुशंसा पुनः किया गया। (कार्रवाईः सह अधिष्ठाता एवं प्राचार्य, ना.उ.म., नूरसराय)
5	श्री प्रणय कुमार पंकज, कार्यालय अधीक्षक, नूरसराय महाविद्यालय, नूरसराय	वेतन विसंगति को दूर किये जाने एवं ससमय प्रोन्नति के संबंध में।	प्रतिवेदन अप्राप्त।	वेतन विसंगति संवंधी मामले पर निदेशक प्रशासन कार्यालय से कृषि विभाग को पुनः स्मार पत्र देने का अनुशंसा किया गया। (कार्रवाईः निदेशक प्रशासन., बि.कृ.वि., सबौर)
6	श्री श्याम मूर्ति, कुलपति के निजी सचिव, बि.कृ.वि., सबौर/ दिनांक03.09.2025	कुलपति के सचिव पद पर वेतनमान सहित प्रोन्निति	प्रतिवेदन अप्राप्त।	–

7. डा. राजकुमार साह, सहायक प्राध्यापक–सह–कनीय वैज्ञानिक,भो.पा.शा.कृ.महा.,पूर्णिया द्वारा किये गये शिकायतों का निपटारा सह अधिष्ठाता एवं प्राचार्य, वी.कु.सिं.कृ.महा., डुमरॉव तथा निदेशक प्रशासन, बि.कृ.वि., सबौर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर समिति की बैठक दिनांक 10.09.2025 का कार्रवाई प्रतिवेदन के आलोक में निपटारा के तहत् इस कार्यालय के पत्रांक 763 दिनांक 07.11.2025 द्वारा श्री साह को संसूचित किया गया था, जिसपर श्री साह द्वारा अंसतोष व्यक्त करते हुये पुनः मामले पर पुर्नविचार का अनुरोध किया गया है। जिसपर समिति द्वारा श्री साह का आवेदन दिनांक 01.12.2025 के आलोक में विचार विमर्श उपरांत निम्नलिखित अनुशंसा किया गया :–

क.सं.	शिकायत का बिन्दु	आवेदन का विवरण	दिनांक 05.12.2025 को समिति द्वारा की गई अनुशंसा
अ.	दिनांक 01.09.2008 से अगस्त 2012 तक का अंतर आवास भत्ता का भुगतान	डा. राजकुमार साह, सहायक प्राध्यापक–सह–कनीय वैज्ञानिक,भो.पा.शा.कृ. महा.,पूर्णिया द्वारा किया गया दावा आवेदन दिनांक 01.12.2025 का कमांक 01 द्रष्टव्य।	सह अधिष्ठाता एवं प्राचार्य, वी.कु. सिंह कृषि महाविद्यालय, डुमरॉव के पत्रांक 1166 दिनांक 08.09.2025 के कम में समिति द्वारा डा. साह, द्वारा किया गया दावा आवेदन दिनांक 01.12.2025 का कमांक 01 पर स्पष्ट मंतव्य के साथ वस्तुस्थिति से अवगत कराने का अनुशंसा समिति द्वारा सह अधिष्ठाता एवं प्राचार्य, वी.कु.सिंह कृषि महाविद्यालय, डुमरॉव से किया गया।
ब.	यात्रा भत्ता 12,190/– रूपये का भुगतान	डा. राजकुमार साह, सहायक प्राध्यापक–सह–कनीय वैज्ञानिक,भो.पा.शा.कृ. महा.,पूर्णिया द्वारा किया गया दावा आवेदन दिनांक 01.12.2025 का कमांक 02 द्रष्टव्य।	अधिष्ठाता (कृषि), बि.कृ.वि., सबौर का का.आ.सं. 183 दिनांक 12.02. 2024 के आलोक में समिति द्वारा 13.02.2024 से 18.02.2024 तक का यात्रा डायरी पर स्वीकृति प्रदान करते हुये सह अधिष्ठाता एवं प्राचार्य, वी.कु.सिंह कृषि महाविद्यालय, डुमरॉव से उक्त अवधि का यात्रा भत्ता भुगतान श्री साह को करने की अनुशंसा समिति द्वारा किया गया है।
स.	दिनांक 13.08.2019 से 31.08.2020 तक का आवास भत्ता का भुगतान नहीं करना तथा दिनांक 01.01.2019 से 12.08.2019 का आवास भत्ता का भुगतान दो बार करने, के संबंध में।	डा. राजकुमार साह, सहायक प्राध्यापक–सह–कनीय वैज्ञानिक, भो.पा.शा.कृ. महा.,पूर्णिया द्वारा किया गया दावा आवेदन दिनांक 01.12.2025 का कमांक 03 द्रष्टव्य।	मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये डा. साह द्वारा किया गया दावा आवेदन दिनांक 01.12. 2025 का कमांक 03 के आलोक में समिति द्वारा सह अधिष्ठाता एवं प्राचार्य, वी.कु.सिंह कृषि महाविद्यालय, डुमरॉव से मामले पर

5.12.25 05.12.25 5.12.25

(90)

			आवश्यक कार्रवाई करते हुये वस्तुस्थिति पर स्पष्ट मंतव्य के साथ प्रतिवेदन समिति को समर्पित करने का निदेश/अनुशंसा समिति द्वारा किया गया।
द	कैरियर एडवासंमेंट अंतर्गत 6000/- से 7000/- रूपये में दिये गये प्रमोशन की तिथि को 20.07.2014 के स्थान पर वास्तविक देय तिथि 20.07.2012 करने तथा	डा. राजकुमार साह, सहायक प्राध्यापक–सह–कनीय वैज्ञानिक,भो.पा.शा.कृ. महा.,पूर्णिया द्वारा किया गया दावा आवेदन दिनांक 01.12.2025 का कमांक 03 द्रष्टव्य।	डा. साह, द्वारा किया गया दावा आवेदन दिनांक 01.12.2025 का कमांक 04 के आलोक में देयता तिथि के संबंध में निदेशक प्रशासन, बि.कृ.वि., सबौर से देय तिथि का नियम/आधार से समिति को अवगत कराने का अनुशंसा किया गया।

प्राप्त नये शिकायतों पर विचार–विमर्श विचारोपरांत निम्नलिखित अनुशंसा किया गया :–

क. सं.	शिकायतकर्ता का नाम/पदनाम एवं आवेदन की तिथि	शिकायत का बिन्दु	**समिति की अनुशंसा**
8	डा प्रभात कुमार, सहायक प्राध्यापक–सह–कनीय वैज्ञानिक (पादप कायिकी), जूट अनुसंधान केन्द्र, कटिहार दिनांक 12.09.2025	Inordinate delay in approval of leave without pay for the period of 03.06.2024 to 30.09.2024 (120) days from University	निदेशक प्रशासन, बि.कृ.वि., सबौर से समिति द्वारा डा. प्रभात कुमार, सहायक प्राध्यापक का प्रक्रियाधीन अवैतनिक अवकाश स्वीकृति के मामले का निपटारा यथाशीघ्र करते हुये वस्तुस्थिति से समिति को शीघ्र अवगत कराने का अनुशंसा किया गया।
9	डा. मणिभूषण ठाकुर, सहायक प्राध्यापक–सह–कनीय वैज्ञानिक, भो.पा.शा.महा., पूर्णियां दिनांक 09.10.2025	Pending bill payment under TA/Seminar/Conference/arrear etc	समिति द्वारा डा. मणिभूषण ठाकुर का बकाया विपत्र का भुगतान में विलंब के कारणों से वस्तुस्थिति की पृच्छा सह अधिष्ठाता एवं प्राचार्य, भो.पा.शा.महा., पूर्णिया से करने का अनुशंसा किया गया।
10	डा. मो. जावेद इदरीस सेवा निवृत विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केन्द्र, कटिहार दिनांक 19.11.2025	पुराना पेंशन स्कीम के अन्तर्गत पेंशन फीक्सड कर ग्रेच्यूटी एवं लीव कैश इत्यादि निर्गत करने के संबंध में।	डा. मो. जावेद इदरीस जो विषय वस्तु विशेषज्ञ थे, उन्हें आई. सी.ए.आर. के आदेश के आलोक में 62 वर्ष में ~~एकाएक~~ सेवानिवृत से जीवनयापन को देखते हुये समर्पित आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करने हेतु आवेदन निदेशक प्रशासन को अग्रसारित करते हुये एक माह के अंदर यथोचित कार्रवाई करने का अनुशंसा निदेशक प्रशासन से समिति द्वारा किया गया।
11	डा. मो. एम.ए.आफताब, विश्वविद्यालय प्राध्यापक–सह–मुख्य वैज्ञानिक, बि.कृ.वि., सबौर दिनांक 20.11.2025	Scrutinize the pay fixation on the CAS promotion form Associate Professor to University Professor.	डा. मो. एम. ए. आफताब से प्राप्त आवेदन जिसमें उनके द्वारा दावा किया गया हैं कि वर्ष 2011 में विश्वविद्यालय प्राध्यापक–सह–मुख्य वैज्ञानिक में प्रोन्नति 10000 ए.जी.पी. में होने पर उनका मूल वेतन कम से कम 53000/– रूपया होना चाहिए जबकि उनको कम राशि प्राप्त हो रहा है, इसपर समिति द्वारा द्वारा निदेशक प्रशासन से पुर्न वेतन निर्धारण हेतु प्रस्ताव नियंत्रक, बि.कृ.वि., सबौर को भेजने की अनुशंसा किया गया। (कार्रवाईः निदेशक निदेशक प्रशासन, बि.कृ.वि., सबौर)

अंत में बैठक धन्यवाद ज्ञापन से सम्पन्न हुआ।

05/12/25

(अजय कुमार मल्लिक)
अंकेक्षण पदाधिकारी, बि.कृ.वि., सबौर
(सदस्य सचिव)

05.12.2025

(मिजानुल हक)
कुलसचिव, बि.कृ.वि., सबौर
(सदस्य)

05-12-25

(राकेश तांती)
नामिनी नियंत्रक, बि.कृ.वि., सबौर
(सदस्य)

5/12/25

(फिजा अहमद)
निदेशक बीज एवं प्रक्षेत्र,
बि.कृ.वि., सबौर–सह–
अध्यक्ष, शिकायत निवारण कोषांग